सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 15/2008

मंगली बेवा श्रवण लाल पुत्री गोपाल जाति माली निवासी रावल–जावल तह0 मांगरोल

.....वादनी

♠ बनाम ♠

1. रामचरण पुत्र नारायण जाति माली निवासी मऊ तह0 मांगरोल
2. रामप्यारी पत्नि मथुरा पुत्री नारायण जाति माली निवासी मांगरोल
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188, 183 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादनी : श्री सुनिल कुमार गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री अजित कुमार जैन

दायरा दिनांक: 13.03.2008

निर्णय दिनांक : 16.05.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके माल मऊ में कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2063–66 खाता संख्या 154 खसरा नं0 49 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 102 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 682 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 701 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 734 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 765 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 344/1575 रकबा 0.48 है0 कुल किता 10 रकबा 4.48 है0 स्थित है जिसके पुराने खसरा नं0 46 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 47 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 88 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 89 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 637 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 636 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 659 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 652 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 647 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 720 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा उक्त आराजियात के पुराने खसरा नं0 203

बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 625 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 729 रकबा 5 बिस्वा, खसरा [illegible] रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 758 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 809 रकबा 15 बिस्वा, खसरा [illegible] रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 814 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 815 रकबा 9 बिस्वा, खसरा [illegible] रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 179 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, उपरोक्त भूमि काल्या पुत्र तुलसी के खाते दर्ज है जिसका मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2014–23 व 2044–63 है वर्तमान जमाबंदी 2063–66 खातेदार नारायण पुत्र घांसी के खाते दर्ज है जो वाद में विवादित आराजियात हैं उक्त आराजीयात वादनी के पैतृक सम्पत्ति है जो की वादनी के दादाजी काल्या पुत्र तुलसीराम के नाम थी।

काल्या पुत्र तुलसीराम

गोपाल पुत्र फौत

कंवरी बाई

बेवा फौत

मंगली पुत्री

काल्या पुत्र तुलसीराम के एक मात्र वारिस गोपाल था जिसकी मृत्यु काल्या के जीवनकाल में ही हो गयी थी तथा गोपाल के एक मात्र पुत्री मंगली वादनी है। गोपाल की मृत्यु के बाद उसके दादाजी काल्या का भी स्वर्गवास हो गया वादनी अपनी दादी कंवरी बाई के पास रहती थी वादनी के दादा काल्या के स्वर्गवास के पश्चात आराजी में वादनी एवं कंवरी बेवा काल्या का इंतकाल खोला जाना था। परन्तु वादनी के नाम इन्तकाल नही खोलकर केवल इंतकाल नं0 2214 से कंवरी बेवा काल्या के नाम इंतकाल खोला गया। कंवरी बाई के फौत होने के पश्चात कंवरी के स्थान पर इन्तकाल नं0 68 दिनांक 01.08.1967 से नारायण पुत्र घांसी जाति माली निवासी बडगांव के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त आराजियात की एक मात्र वारिस वादनी है। नारायण ने कपट पूर्वक गलत तरिके से उक्त आराजियात में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कंवरी बाई की मृत्यु के बाद खोला गया इंतकाल 68 विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है। इसलिये वादनी विवादित आराजियात के खाते से प्रतिवादीगण के पिता नारायण का नाम हटाया जाकर अपना नाम दर्ज खाता की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अतः इंतकाल नं0 68 दिनांक 01.08.1967 को निरस्त कर वादनी का

रिकार्ड में दर्ज किया जावें। खाता संख्या 154 कुल किता 10 रकबा 4.48 है0 में वादनी की खातेदारी घोषित की जाकर खातेदारी दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की जावे कि विवादग्रस्त आराजियात पर वादनी को शांतिपूर्वक काश्त करने दें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 13.03.2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री अजित कुमार जैन ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैः–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है।
02 वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है।
03 वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 में इन्तकाल नं0 68 दिनांक 01.08.1967 को खोला जाना स्वीकार है शेष अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अस्वीकार है।

प्रतिवादी कम 1 व 2 ने विशेष कथन में निवेदन किया कि उपरोक्त भूमियां ग्राम मऊ में होना स्वीकार है तथा उक्त भूमियां मुताबिक वसियत नामा0 24.03.1962 को स्वयं कंवरी ने नारायया के पक्ष में करवायी तथा स्वयं कंवरी ने उक्त वसीयत में वर्णित किया कि मेरे कोई सुलभी संतान नही है इसलिये उक्त भूमियां मुताबिक वसीयत नारायण पुत्र घांसी के नाम दर्ज कर दी जावें उसी के मुताबिक उपरोक्त भूमियां रजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर 01.08.1967 का इंतकाल नं0 68 से प्रतिवादीगण के पिता नारायण पुत्र घांसी के नाम दर्ज हुयी उक्त भूमियां स्वयं नारायणख कंवरी के जीवनकाल से करीब 70 वर्ष से लगातार निरतंर काश्त करता आ रहा है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2063–66 ग्राम मऊ व संलग्न बयान स्वयं वादनी व भूरा पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी मऊ के गवाह का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 16.05.2018 को बहस सुनी गयी वकील प्रतिवादी अनुपस्थित वकील वादनी श्री सुनिल कुमार गौड ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में अंकन किया है। अतः संलग्न दस्तावेज व प्रदर्शो के

पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुंचा है कि वादनी मंगली पुत्री गोपाल है का हिस्सा माल में कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2063–66 खाता संख्या 154 खसरा नं0 49 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 50 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 102 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 682 रकबा 0.37 है0 खसरा नं0 683 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 701 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 734 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 765 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 344/1575 रकबा 0.48 है0 कुल किता 10 रकबा 4.48 है0 में 1/2 बनता है एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा सामुहिक रूप से 1/2 बनता है। अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर ग्राम मऊ में स्थित आराजी खाता संख्या 154 खसरा नं0 49 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 102 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 682 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 701 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 734 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 765 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 344/1575 रकबा 0.48 है0 कुल किता 10 रकबा 4.48 है0 में वादनी मंगली बेवा श्रवण लाल पुत्री गोपाल जाति माली निवासी रावल–जावल को सम्पूर्ण आराजी में हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को जयें स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि उक्त आराजी में वादनी को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे एवं किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें साथ ही शेष आराजी पर प्रतिवादी कम 1 व 2 शामलाती तौर पर खातेदार दर्ज रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।